कार्यालय,आयुक्त, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन–भोपाल, 462004

क्रमांक / 1241/337/ /आउशि/शाखा–8/09 — भोपाल, दिनांक 15/09/2009

प्रति,

प्राचार्य
नीचे दर्शाये अनुसार शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषयः--**विकमादित्य योजना की नवीन विद्यार्थियों हेतु बजट आवंटन वर्ष 2009–2010**

संदर्भः–**1. पत्र क्रमांक 1599/आउशि/854/08 दिनांक 21.08.2008**

2. पत्र क्रमांक 452/337आउशि/शाखा–8/09 दिनांक 13,मई,2009

***

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विकमादित्य योजनान्तर्गत निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित राशि का अतिरिक्त बजट आवंटन स्वीकृत किया जाता है:–

डीडीओ कोड	महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला	राशि
0303802001	शासकीय जयवन्ती हक्सर स्नातकोत्तर महाविद्यालय	बैतूल	बैतूल	3000
1303802001	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	गुना	गुना	3000
1503802001	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	हरदा	हरदा	2000
3303802002	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय	सागर	सागर	2000
3413802005	शासकीय महाविद्यालय	अमरपाटन	सतना	11000
3403802007	शासकीय महाविद्यालय	जैतवारा	सतना	2000
3433802004	शासकीय महाविद्यालय	नागौद	सतना	3000
3403802001	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	सतना	सतना	18000
	शासकीय महाविद्यालय	नलखेड़ा	शाजापुर	2000
3923802003	शासकीय श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया महाविद्यालय	कोलारस	शिवपुरी	2000
	योग			**48,000**

(रूपए अड़तालीस हजार)

उक्त राशि का व्यय बजट शीर्ष **44-2202-03-103-5674-0101-42-007** (विकमादित्य योजना) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

यह जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी कि कोई भी पात्र विद्यार्थी इस योजना के लाभ से वंचित न हो।

निम्नलिखित तथ्यों का प्रमाण–पत्रों के आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन करने के उपरांत ही छात्रवृत्ति का वितरण किया जाए–

1. शासन के संदर्भित पत्र में दर्शाए गये नियम मापदण्डो का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. विद्यार्थी ने जिस वर्ष 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो व निरन्तरता के साथ प्रथम वर्ष 2008 में प्रवेशित हो इसका परीक्षण एवं सत्यापन महाविद्यालय स्तर से किया जाए।
3. विद्यार्थी नें उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु प्रथम वर्ष में महाविद्यालय में नियमित प्रवेश लिया हो एवं अध्ययनरत् हो।

4. यदि विद्यार्थी संदर्भित पत्रानुसार अनुदान प्राप्त / अप्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेशित हो और वह पात्र पाई गई है तो उसके लिए बजट आवंटन अध्यनरत विद्यार्थी के महाविद्यालय के जिले में स्थित संबंधित विभागीय अग्रणी महाविद्यालय को भेजा जा रहा है। यह अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य का दायित्व होगा कि संबधित अशासकीय महाविद्यालय के बारे में यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उसे वर्तमान में अनुदान प्राप्त है अथवा नहीं।

5. अन्य महाविद्यालयं की चयनित विद्यार्थी को बजट प्रदाय करने की कार्यवाही व पावती अग्रणी महाविद्यालय स्तर से प्रमाण–पत्रों का परीक्षण कर की जाएगी। **किसी भी स्थिति में संबंधित संस्था को बजट स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।**

6. पात्र विद्यार्थी को राशि वितरित करने से पूर्व घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाए।

7. किसी भी परिस्थिति में योजना की राशि अन्य मद में जमा न करे.।

8. पात्र विद्यार्थी को वितरित राशि व विगत कक्षा के प्राप्तांक का लेखा महाविद्यालय के लेखापाल व विक्रमादित्य योजना के प्रभारी द्वारा किया जाकर प्राचार्य से प्रमाणिक अभिलेखों व उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर में अद्यतन कर दिनांक **15.सितम्बर, 2009** तक अनिवार्य रूप से अग्रणी महाविद्यालय द्वारा संकलित कर ई–मेल **(compcellhedu@mp.gov.in)** पर प्रेषित करें । **महाविद्यालय पृथक–पृथक से जानकारी का प्रेषण न करें ।**

9. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधिकार क्षेत्रांतर्गत आने वाले सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों को संदर्भित पत्रानुसार पात्र विद्यार्थी को समय से योजना का लाभ प्राप्त हो जाए।

10. जारी किया गया बजट आयुक्त कोष–लेखा के सेन्ट्रल सर्वर पर लोड करा दिया गया है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए तत्काल योजना का क्रियान्वयन किया जाए।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक / 1242 / 337 / आउशि / योजना / शा.8 / 09

भोपाल, दिनांक 15 / 09 / 2009

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म प्र शासन, भोपाल म प्र।
2. निज सहायक प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, म प्र शासन, भोपाल म प्र।
3. संयुक्त संचालक (बजट), उच्च शिक्षा, म.प्र. – की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा म.प्र.
5. संबंधित कोषालय अधिकारी म.प्र.।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश